

~~95/18~~ पत्रावली पेश हुई। बकुलार फर्निचर उपा।
ओइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट लोक अदालत
में दिनांक. 95/18 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीज

Parnila
By
Ramesh
Mishra

95/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट गुणस्थार
में पेश हुई (बाकी का वार प्रसंगिक
डिप्टी क्लिंका जागोरा लक्ष्मीनारायण
कोर्टकासिम को विभाजन प्रस्ताव
पुस्तक मय। जेजावती को लिख भेजा
जाही सोमवार दिनांक 29.5.18 को
पेश हो। एस

29.5.18 अथिक्ता उपा। नलीर पुन।
नहलीर वार कोर्टकासिम को जाही लोक।
17.7.18 को पेश हो। एस

17/7/18 बाकी कायवाही उपा। पत्रावली में लखन
ले कायवाही का विभाजन प्रस्ताव लिखा गेहा
इसा कैम्प कोर्ट दिनांक 9.5.18 में डिप्टी
क्लिंका जागोरा है। जेजावती लखन पत्रावली
है। पत्रावली में लख सुमार सोमवार को
ले काय हो तथा वार नहलीर कोर्टकासिम
हो। एस

उपखण्ड अधिकारी
कोर्टकासिम (अलवर)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विजय शर्मा मीना R.A.S. गुणसंग
उनवान

विरुद्ध श्री प्रदीप शर्मा बनाम हरिशम

क्रमांक:- 397/08
दिनांक:- 9.5.2018

वादी की ओर से श्री विजय शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से श्री प्रदीप शर्मा

उपस्थिति में आज तारीख 9.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम पटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

वादी का वह एक बूट डिग्री किया जाता है कि विवाहित
आपकी दायरे में 1961-06, 1931-05 वीरार में से
0-07 विरुद्ध वकील श्री विजय शर्मा कोर्टकासिम डिग्री किया
जाता है (प्रतिवादी को पकड़ किया गया है कि वादी के
वकील का नाम श्री प्रदीप शर्मा है, जो श्री वादी को पकड़ कर
इसे वादी के दायरे में लेता है। पीठासीन अधिकारी को पकड़ कर
रखें।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 9.5.2018 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्री विजय शर्मा मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम